क्या आप जानते हैं?

- कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने ही अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना की थी।
- मुसलमानों के कल्याण के लिए 4.9 लाख वक़्फ़ संपत्तियाँ विकसित की जाएँगी।
- वक़्फ़ संपत्तियों के विकास से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये उत्पन्न होगें जिसका उपयोग भारत में मुस्लिम समुदाय के सशक्तीकरण के लिए किया जाएगा।

इसे संभव बनाया है

- समावेशी विकास के प्रति कांग्रेस पार्टी की दृढ़ वचनबद्धता ने जिसके तहत मुसलमानों के कल्याण के लिए सुधारवादी योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के कल्याण के लिए धन आवंटन को 2600 करोड़ रुपये (2010–11 में) से बढ़ाकर 3,531 करोड़ रुपये (2013–14 में) किए जाने से।
- कांग्रेस पार्टी के इस दृढ़ संकल्प से कि वह मुसलमानों के उत्थान के लिए वक़्फ़ संपत्तियों का विकास करेगी।

CONGRESS

वक़्फ़ कानून

- सभी राज्यों को अनिवार्य तौर पर 2014 तक वक़्फ़ बोर्डों की स्थापना करनी होगी।
- गैरकानूनी रूप से वक़्फ़ की संपत्ति पर कब्ज़ा करने वालों को अधिकतम दो वर्ष तक कैद की सज़ा होगी।
- वक़्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने में विफल रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- दुरुपयोग साबित करने के लिए वक़्फ़ संपत्तियों की बिक्री, उन्हें उपहार में देने या उनका हस्तांतरण करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
- उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारें वक़्फ़ बोर्डों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं (सिवाय वित्तीय अनियमितताओं के मामले में)।
- केवल वक़्फ़ बोर्ड ही वक़्फ़ संपत्तियों को लीज़ करने/गिरवी रखने की स्वीकृति दे सकते हैं।
- अल्पसंख्यों का विकास सुनिश्चित करने के लिए, वक़्फ़ की संपत्तियों को स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास संबंधी गतिविधियों के लिए अधिकतम तीस वर्षों तक लीज़ पर/गिरवी रखा जा सकता है।
- वक़्फ़ बोर्ड दस वर्ष तक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी संपत्तियों को लीज़ पर/गिरवी रख सकते हैं।
- राज्य स्तर पर सक्षम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल वक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेंगे।

"हम अनेकता में एकता में विश्वास करते हैं... हमारी व्यवस्था अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है। हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष बनावट की रक्षा करना और अल्पसंख्यकों को समान अवसर सुनिश्चित करना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है... हमें ध्यान रखना होगा कि समग्र विकास और सभी वर्गों के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समावेशी विकास आवश्यक है।"

– श्रीमती सोनिया गांधी

CONGRESS